



यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700001

फोन (033) 44557227, ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, वेबसाइट: www.ucobank.com

पोस्टल बैलट सूचना

प्रिय शेयरधारक (गण),

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यह सूचना अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन हेतु पोस्टल बैलट के माध्यम से निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करने हेतु यूको बैंक (बैंक) के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने हेतु जारी की गई है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं व्याख्येय विवरण, भौतिक तथ्यों और इसके कारणों को बताते हुए अनुबंध के रूप में शामिल किया गया है।

बैंक ने निष्पक्ष एवं पारदर्शिता को बनाए रखते हेतु पोस्टल बैलट प्रक्रिया के संचालन के लिए संविश्वक के रूप में कंपनी सचिव एस.एन.अनंतसुब्रह्मनियम एण्ड कं. के सुश्री मालती कुमार (सी.पी.नं. 10890) या इनकी अनुपस्थिति में श्री अश्विनी वर्तक (सी.पी.नं. 16723) को नियुक्त किया है।

बैंक कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं नियम 22 के अनुसरण में पोस्टल बैलट लागू किया है। उक्त नियम के अनुसार बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को इलाक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करने हेतु इलाक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

बैंक अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कर्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कर्वी') को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरण इस नोटिस के नोट में दिया गया है।

संविश्वक पोस्टल बैलट प्रक्रिया के समापन की तारीख से दो दिन से अधिक समय के अंतर्गत प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट पेपर / ई-वोटिंग की संविश्वका की समाप्ति के बाद अध्यक्ष या निदेशक मंडल द्वारा यथाप्राधिकृत बैंक के निदेशक / अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

पोस्टल बैलट का परिणाम बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 22.03.2018 को घोषित किया जाएगा। संविश्वक की रिपोर्ट साथ ही पोस्टल बैलट के परिणाम की सूचना बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को दी जाएगी और इसे बैंक के कार्पोरेट / प्रधान कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा तथा बैंक के वेबसाइट www.ucobank.com एवं कर्वी के वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर अपलोड किया जाएगा।

यदि अपेक्षित बहुमत द्वारा कोई संकल्प पारित किया जाता है तो दिनांक 21.03.2018 को इसे पारित किया हुआ माना जाएगा यानी वह तारीख परिपूर्ण पोस्टल बैलट फार्म की प्राप्ति के लिए या ई-वोटिंग के लिए बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तरीख होगा।

शेयरधारकों से निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि इसे ठीक समझा जाता है तो उक्त संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु अनुरोध किया जाता है :

यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और / या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवश्यकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरीयों, यदि कोई हो, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएं, जिनपर निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय – समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचिकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन निम्नलिखित इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'मंडल' कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है:

- भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में निर्गम मूल्य के निर्धारण के अधीन ₹10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल ₹1,375 करोड़ मात्र के इक्विटी शेयर एवं



यूको बैंक

UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Phone (033) 44557227, E-mail: hosgr.calcutta@ucobank.co.in, Website: www.ucobank.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholders (s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN for seeking consent of Shareholders of UCO Bank ('the Bank') to pass the following Special Resolution by way of Postal Ballot to create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis.

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (C.P. No. 10890) or failing her Ms. Ashwini Vartak (C.P. No.16723), of S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Bank is conducting this Postal Ballot in accordance with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended. In line with said Rules, the Bank is also pleased to provide electronic voting facility to enable the members to cast their votes electronically.

The Bank has engaged Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') to provide remote e-Voting facility to its members. Detailed instructions regarding remote e-Voting are given in notes to this notice.

The Scrutinizer will submit the report to the Managing Director and Chief Executive Officer or any other Director/ Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of scrutiny of physical Postal Ballot papers/ e-Voting but not later than two days from the date of conclusion of Postal Ballot process.

The result of Postal Ballot will be announced on 22.03.2018 at the Head office of the Bank. The result of Postal Ballot along with Scrutinizer's Report shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and shall also be hosted on the Bank's website at www.ucobank.com and also on the website of Karvy at <https://evoting.karvy.com>

The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on 21.03.2018 i.e. the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot forms or e-Voting.

Shareholders are requested to consider the following and, if deemed fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot

- a) such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to ₹ 1,375 crore; and



ख) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियमन 76 (1) के अनुसरण में निर्गम मूल्य के निर्धारण के अधीन ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर कुल ₹ 5,132 करोड़ मात्र के इक्विटी शेयर, जिसमें प्रिमियम सहित दोनों को शामिल करते हुए कुल ₹ 6,507 करोड़ (रुपया छह हजार पांच सौ सात) मात्र के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमान्य इश्यू के लिए संगत तारीख 19.02.2018 है।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियां मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते / प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए और जिसमें मंडल की सहमति हो।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाईयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाईयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्रधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से,
कृते यूको बैंक

हस्ता/-

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 12.02.2018

(आर.के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



- b) such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to ₹ 5,132 crore

together aggregating to ₹ 6,507 crore only (Rupees Six thousand Five hundred and Seven crore only), inclusive of premium.

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for the aforesaid Preferential Issue/s is 19.02.2018.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors,
For UCO Bank

sd/-

(R.K. Takkar)

Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata

Date : 12.02.2018

**नोट :**

- यह नोटिस वैसे सभी शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके नाम नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त शेयरधारक रजिस्टर / हिताधिकारी मालिकों की दिनांक 16.02.2018 (निर्दिष्ट तारीख) की सूची में दिए गए हैं। निर्धारित तारीख को जो व्यक्ति शेयरधारक नहीं है, वह यह समझे कि यह नोटिस सूचना के प्रयोजन से दिया गया है।
- सेबी (एलओडीआर) विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों ने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त करने हेतु अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत किए हैं, उन्हें पोस्टल बैलट की सूचना ई-मेल से तथा अन्य को पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ डाक/कूरियर से सूचना भेजी जा रही है।
- प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट द्वारा मतदान करने को इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न पोस्टल बैलट फॉर्म पर मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विधिवत पूरे किए गए पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 5 बजे के पूर्व संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए। उक्त तारीख और समय के बाद प्राप्त होनेवाले किसी पोस्टल बैलट फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि शेयरधारक के पास से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- जिन शेयरधारकों ने ई-मेल के माध्यम से पोस्टल बैलट नोटिस प्राप्त की है और प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं, वे पोस्टल बैलट फॉर्म बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसके लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गचीबावली फाइनैसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 032 (टेलीफोन सं. 040-67162222, टोल फ्री सं. 1800-345-400, फैक्स सं. 040-23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com को या कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधानकार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 को लिख सकते हैं।
- शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक विधि का विकल्प दे सकता है अर्थात्, प्रत्यक्ष बैलट अथवा रिमोट ई-वोटिंग। यदि शेयरधारक दोनों विधियों द्वारा अपना वोट देते हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा दिया गया वोट मान्य होगा तथा प्रत्यक्ष पोस्टल बैलट द्वारा दिया गया वोट अमान्य माना जाएगा।
- रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं रीति निम्नानुसार होगी :

(क) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे शेयरधारकों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्बी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है और जिनके पास अपना विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है।

- i. ई-मेल खोलें और पासवर्ड के रूप में अपने क्लायंट आईडी या फोलियो नं. से पीडीएफ फाइल अर्थात् 'यूकोबैंक ई-वोटिंग पीडीएफ खोलें। उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।
- ii. यूआरएल : <https://evoting.karvy.com> टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरू करें।
- iii. शेयरहोल्डर "लॉगइन" पर क्लिक करें।
- iv. उपर्युक्त स्टेप (i) में नोट किया गया अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में लिखें। फिर से क्लिक करें।
- v. पासवर्ड चेंज मेनू दिखाई पड़ेगा। पासवर्ड को अपने मनचाहे पासवर्ड से बदलें जिसमें न्यूनतम 8 अंक/कैरेक्टर या दोनों का मिश्रण हो। कृपया इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
- vi. "ई-वोटिंग" का होम पेज खुलेगा। "ई-वोटिंग" पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।
- vii. यूको बैंक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवेंट नम्बर (EVEN) का चयन करें।
- viii. "मतदान करें" ('Cast Vote') पृष्ठ खुलेगा। अब आप "ई-वोटिंग" कर सकते हैं। मतदान (वोटिंग) दिनांक 20.02.2018 को पूर्वाह्न 9 बजे से शुरू होकर दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 5 बजे शेष होगा।
- ix. उपर्युक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा "सबमिट" पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर "कन्फर्म" ('Confirm') भी करें।
- x. पुष्टि (कन्फॉर्मेशन) हो जाने पर "मतदान सफलतापूर्वक हुआ" ("Vote cast successfully) प्रदर्शित होगा।
- xi. कारोबार मद पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।

**NOTES :**

- The Notice is being sent to all Shareholders, whose names appear on the Register of Shareholders /List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on 16.02.2018 (Cut-off Date). A person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.
- In terms of SEBI (LODR) Regulations, Shareholders, who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- Shareholders desiring to exercise vote by physical Postal Ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on 21.03.2018. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Shareholder has not been received.
- Shareholders, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.ucobank.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 (Tel.No.040-67162222, Toll Free No..1800-345-4001, Fax No. 040-23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com) or Company Secretary, UCO Bank, Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001.
- Shareholders can opt only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or remote e-voting. In case, Shareholders cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.
- The process and manner of remote e-voting shall be as follows :

(A) Instructions in respect of remote e-voting to Shareholders of the Bank whose demat account/folio in number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

- i. Open e-mail and open PDF file viz; 'UCO Bank e-voting pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.
- ii. Launch internet browser by typing the URL: <https://evoting.karvy.com>
- iii. Click on Shareholder "Login"
- iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. Home page of "e-voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.
- vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of UCO Bank.
- viii. Now you are ready for "e-voting" as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences from 9 a.m. on 20.02.2018 and ends at 5 p.m. on 21.03.2018.
- ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.
- x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.



- xii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय के अतिरिक्त) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्षात्कृत नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में बैंक के वैसे सदस्यों के लिए अनुदेश जिनका डिमैट खाता/फोलियो नं. कार्बी की ई-वोटिंग सर्विसेज के लिए पंजीकृत किए जा चुके हैं।

- i. यूआरएल : <https://evoting.karvy.com> टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर शुरू करें।
- ii. शेयरहोल्डर “लॉगइन” पर क्लिक करें।
अपना यूजर आईडी और विद्यमान पासवर्ड प्रविष्ट करें (यदि अपना पासवर्ड भूल गए हों तो <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)।
- iii. “लॉगइन” क्लिक करें
- iv. “ई-वोटिंग” का होम पेज दिखेगा। “ई-वोटिंग” पर क्लिक करें। वोटिंग साइकिल को सक्रिय करें।
- v. कारोबार की मद के पक्ष में अपना वोट देने के लिए यूको बैंक के ई-वोटिंग ईवेन नं. (EVEN) का चयन करें। (कृपयायह नोट करें कि एक बार मतदान करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है)। संकल्प पर मतदान करने तक या वोटिंग अवधि की समाप्ति तक अर्थात 21.03.2018 (भारतीय मानक समय) के अपराह्न 5 बजे तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक ईवेन (EVEN) के लिए आप कार्बी के ई-मतदान प्लॉटफॉर्म पर जितनी बार चाहें लॉगइन कर सकते हैं। मतदान की अवधि दिनांक 20.02.2018 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा।
- vi. “मतदान करें” (‘Cast Vote’) पृष्ठ खुलेगा। अब आप “ई-वोटिंग” कर सकते हैं।
- vii. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट दें तथा “सबमिट” पर क्लिक करें और प्राम्पट होने पर “कन्फर्म” (‘Confirm’) भी करें।
- viii. संकल्प पर एक बार मतदान कर देने के बाद आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- ix. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, हिंदू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय के अतिरिक्त) द्वारा संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) तथा उसके साथ मतदान करने हेतु प्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के साक्षात्कृत नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से scrutinizer@snaco.net पर भेजने होंगे तथा उसकी प्रति evoting@karvy.com को देनी होगी।

कृपया नोट करें कि :

- पोस्टल बैलट फॉर्म द्वारा या ई-वोटिंग प्लॉटफॉर्म पर मतदान करनेवाले शेयरधारकों के मताधिकार दिनांक 16.02.2018 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की पेड अप ईविटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- गलत पासवर्ड डाल कर पाँच बार असफल प्रयास करने के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगइन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्था में इसे रीसेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर उपलब्ध “पासवर्ड भूल गए” (‘Forgot Password’) विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगइन आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कंपनियों, जिसमें आप शेयरधारक हैं, के संकल्प (संकल्पों) पर ई-वोटिंग करने के लिए ही आप द्वारा किया जा सकेगा।
- इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएँ और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।
- ई-वोटिंग की सुविधा दिनांक 21.03.2018 को अपराह्न 5 बजे के बाद समाप्त कर दी जाएगी।
- अनेक फोलियो / खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डिमैट खाता के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया को अपना सकता है। तथापि, शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक को बैंक के कुल शेयरधारण के 10 % से अधिक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि आपको ई-वोटिंग के मामले में किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो या कोई मामला हो तो श्री एस.वी.राजू, उप महाप्रबंधक, कर्वी कम्प्यूटरसेयर, प्रा.लि., कर्वी सेलेनियम टावर, प्लॉट नं. 31 – 32, गाचिबोउली, फाइनैसियल जिला, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 से संपर्क कर सकते हैं या inward.ris@karvy.com को ई-मेल भेज सकते हैं।



- xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

(B) Instructions in respect of remote e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

- i. Launch internet browser by typing URL: <https://evoting.karvy.com>
- ii. Click on Shareholder - Login
Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on <https://evoting.karvy.com>).
- iii. Click "Login"
- iv. Home page of "e-voting" appears. Click on "e-Voting"- Active Voting Cycles.
- v. Select E-Voting Even Number (EVEN) of UCO Bank for casting your vote in favour of/ against the item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can login any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e. upto 5 p.m. on 21.03.2018, whichever is earlier. Voting period commences from 9 a.m. on 20.02. 2018.
- vi. Now you are ready for 'e-voting' as 'Cast Vote' page opens.
- vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

Please note that :

- The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the Cut-off date i.e. 16.02.2018 for Shareholders voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform.
- Login to e-voting Website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution (s) placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- The e-voting facility shall be blocked forthwith on 21.03.2018 at 5 p.m.
- Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- In case you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri S.V. Raju, Deputy General Manager, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 or write an email to inward.ris@karvy.com.



व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण तैयार किया जाना अपेक्षित है जो निम्नप्रकार है :

क) अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य

भारत सरकार ने अपने पक्ष में ईक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के मद में हमारे बैंक में दिनांक 29.12.2017 को ₹ 1,375 करोड़ (रु एक हजार तीन सौ पचहत्तर करोड़) पूंजी प्रदान किया है।

बैंक इसे “शेयर एप्लिकेशन मनी अकाउंट” में रखा है और सभी सांविधिक / नियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार को शेयर आबंटित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 15 01.2018 के द्वारा बैंक को अनुमति प्रदान किया है कि उक्त राशि को बासेल III मानदंडों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 के लिए सामान्य ईक्विटी टीयर I के एक भाग के रूप में व्यवहार करें।

आगे, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. एफ.नं. 7 / 38/2014 – बीओए दिनांक 24.01.2018 के द्वारा यह सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार लाने हेतु वह कुल ₹ 6,507 करोड़ रु की पूंजी लगाएगा जिसमें दिनांक 29.12.2017 को दिए गए ₹ 1,375 करोड़ का अंशदान भी शामिल है। बैंक को भारत सरकार से शेष पूंजी अंशदान स्वरूप ₹ 5,132 करोड़ मिलना बाकी है।

उक्त पत्र के संदर्भ में बैंक को एक उत्तरदायी और जिम्मेदार सरकारी क्षेत्र के बैंक की दृष्टि से ग्राहक जवाबदेही, जिम्मेदार बैंकिंग, क्रेडिट ऑफटेक, उद्यमि मित्र (एमएसएमई के उद्येश्य से) के रूप में सरकारी क्षेत्र का बैंक, वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलाइजेशन आदि को शामिल करते हुए कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने एवं बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यसूची में सुधार लाएगा।

बैंक के निदेशक मंडल ने भारत सरकार से पहले ही प्राप्त ₹ 1,375 करोड़ एवं शेष राशि ₹ 5,132 करोड़ प्राप्त किए जाने के अधीन अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को ₹ 10 (रुपये दस मात्र) के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने हेतु अनुशंसा किया है।

उक्त पूंजी उगाही को पूंजी पर्याप्तता में सुधार लाने एवं बैंक के सामान्य कारबार के निधियन के लिए उपयोग किया जाएगा।

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जा रहा है जो बैंक का प्रवर्तक है।

ग) निर्गम मूल्य अबतक संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन, 76 के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ संबंधित तारीख 19.02.2018 है (यानी विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से 30 दिन पूर्व)। चूंकि विशेष संकल्प पोस्टल बैलट के माध्य से पारित होगा। अतः पोस्टल बैलट के अंतर्गत मतदान पूरे होने की तारीख यानी 21.03.2018 को संकल्प पारित किए जाने की तारीख समझा जाएगा। तदनुसार, निर्गम मूल्य की संगणना संबंधित तारीख यानी 19.02.2018 को की जाएगी एवं इसे समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से एवं बैंक के वेबसाइट में प्रदर्शित करते हुए शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा।

घ) निर्गम के पहले एवं बाद में शेयरधारिता का स्वरूप

अधिमान्य निर्गम के पहले एवं बाद में बैंक के शेयरधारिता निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	150,29,27,852	80.50
ख.	गैर-प्रवर्तक की धारिता	36,39,58,424	19.50
ग.	कुल	1,86,68,86,276	100.00



EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2009 are as follows:

a) Objects of the Preferential Issue.

The Government of India made a capital contribution of ₹1,375 crore (Rupees One thousand three hundred seventy five crore only) on 29.12.2017 in our Bank towards preferential allotment of equity shares in its favour.

The Bank is maintaining the same in the "Share Application Money Account", and will allot the shares to GOI after receipt of all statutory / Regulatory approvals. RBI vide their letter dated 15.01.2018 permitted the Bank to treat the said amount it as part of the Common Equity Tier I as at 31st December, 2017 as per BASLE III requirements.

Further, Governments of India vide its letter No. F.No.7/38/2014-BOA dated 24.01.2018 has intimated their decision to infuse capital funds during the financial year 2017-18 into the Bank to the tune of ₹ 6,507 Crore to improve capital adequacy of the Bank which is inclusive of ₹1,375 Crore contributed on 29.12.2017. Bank is yet to receive remaining capital contribution of ₹ 5,132 crore from Government of India.

In terms of aforesaid letter the Bank shall be required to commit to reforms agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at Enhanced Access and Service Excellence (EASE) covering customer responsiveness, responsible banking, credit offtake, PSBs as Udyami Mitra (aimed at MSME), financial inclusion and digitization etc.

The Board of directors of the Bank has recommended for passing of special resolution for issue of equity shares to create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis against capital infusion of ₹1,375 Crore already received from the Government of India and for the remaining amount of ₹5,132 Crore to be received from Government of India.

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

- b) The entire issue will be subscribed by the Government of India - Promoter of the Bank.
- c) The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The relevant date for the purpose of computation of Issue Price is 19.02.2018 (i.e., the date 30 days prior to the date of passing of special resolution.) Since the Special Resolution will be passed through postal ballot, the date of completion of voting under postal ballot i.e., 21.03.2018 will be the deemed date of passing of the Resolution. Accordingly, the Issue Price will be computed on the Relevant Date i.e., 19.02.2018 and the same will be notified to the shareholders through Newspaper advertisement and by displaying on the website of the Bank and also intimated to the BSE and NSE as well as in the e-voting portal of Karvy.

d) Shareholding Pattern before and after the Issue

Shareholding pattern of the Bank before the preferential issue is as shown below:

Sl. No.	Category	Before the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding (Government of India)	150,29,27,852	80.50
B.	Non -Promoter Holding	36,39,58,424	19.50
C.	Total	1,86,68,86,276	100.00



निर्गम के बाद बैंक की शेयरधारिता स्वरूप की सूचना शेयरधारकों को समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए एवं बैंक के वेबसाइट में अपलोड करते हुए दी जाएगी ताकि संगत तारीख 19.02.2018 को निर्गम मूल्य की संगणना के बाद इसका निर्धारण किया जा सके।

- ड) अधिमाम्य आबंटन विशेष संकल्प पारित होने की तारीख से 15 दिन के अंदर यानी 21.03.2018 से 15 दिन के अंदर या ईक्विटी के अधिमाम्य निर्गम के मामले में भारत सरकार और / या अन्य किसी सांविधिक / विनियामक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर, यदि कोई हो, जो भी कम हो, किया जाएगा।
- च) चूंकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- छ) बैंक के ईक्विटी शेयर 6 माह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध हैं और इसीलिए सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (3) एवं 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं। अतः सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) एवं (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- ज) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए आरक्षित होंगे।
- झ) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व – अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मंजूर वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से छह माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।
- ञ) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के खंड 73 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र 19.02.2018 के संगत तारीख के बाद जारी किया जाएगा और यह निरीक्षण हेतु बैंक के पंजीकृत कार्यालय में पोस्टल बैलट के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया के पूरा होने की तारीख तक किसी भी कार्यदिवस को 11 बजे से 3 बजे तक उपलब्ध रहेगा। लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक के वेबसाइट www.ucobank.com एवं कर्वी के वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध होगा।
- ट) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते के निर्धारण के अनुसार ईक्विटी शेयरों के निरंतर सूचिबद्धता की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- ठ) भारत सरकार ने संगत तारीख से पहले के छह माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।
- ड) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 के अनुसरण में, अधिमानी आधार पर शेयर निर्गम एवं आबंटन के साथ ही बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर की पेशकश करने के विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।
- ढ) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।
- ण) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां उस समय तक आरक्षित रहेंगी जबतक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।
- त) आपके निदेशकगण सूचना में यथाविनिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुती करते हैं।
- थ) बैंक के निदेशकों में से किसी का भी इस संकल्प से कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से,

कृते यूको बैंक

हस्ता/-

(आर.के. टक्कर)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 12.02.2018

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



The post issue shareholding pattern of the Bank after will be notified to the shareholders through Newspaper advertisement and by displaying on the website of the Bank as the same can be determined after computation of issue price on Relevant date i.e. 19.02.2018.

- e) The Preferential Allotment will be completed within 15 days from the date of passing of Special Resolution, i.e., within 15 days from 21.03.2018 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from GOI and/or any other statutory/regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity, whichever is later.
- f) As the entire issue is to be made to Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.
- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable. Hence disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.
- h) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- i) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.
- j) The Auditors' Certificate required under clause 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be issued after the Relevant Date of 19.02.2018 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditors' Certificate will also be displayed on the website of the Bank - www.ucobank.com and website of Karvy - <https://evoting.karvy.com>
- k) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-a-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- p) Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.
- q) None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors,
For UCO Bank

sd/-

(R.K. Takkar)

Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Kolkata

Date : 12.02.2018